

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठारसीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 53 सन 2021

अनवान :-

1. सोहनलाल महरिया पुत्र मेहरघनन्द जाति जाट साकिन रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136

भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :- 29/10/22/

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा जबरारसर के खाता संख्या 184/342 की कुल 13.9730हैक् भूमि प्रार्थी का खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण सुरेन्द्र दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम सोहनलाल महरिया है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटो पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी का नाम सोहनलाल महरिया दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।


प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड वाद भूमि में प्रार्थी का नाम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया पेशेकार राज ने निवेदन किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य रावुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

सरपंच ग्राम पंचायत जबरारसर एवं अभियान में उपस्थित मौजिज व्यक्तियों के द्वारा भी प्रार्थी के नाम की तस्दीक की गई है।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया रोही मौजा जबरारसर के खाता संख्या 184/342 की कुल 13.9730हैक् भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है।

जिरामें प्रार्थी का नाम सुरेन्द्र दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम सोहनलाल महरिया है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है।


  
उपखण्ड अधिकारी

नोहर

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दरतावेजात मतदाता फोटो पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी का नाम सोहनलाल महरिया दर्ज है सहयन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नहीं है वल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबूतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा जबरारसर के खाता संख्या 184/342 की कुल 13.9730हैव भूमि में प्रार्थी का नाम सुरेन्द्र दर्ज के स्थान पर सोहनलाल उर्फ सुरेन्द्र महरिया संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तस्तीय तकमील जाब्रा दाखिल दपत्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ़ )  
प्रशासन गांव के संग अभियान-2021  
कैम्प कोर्ट ...जबरारसर...

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व/रीडर/2020/357

दिनांक :- 29/10/2021

तहसीलदार राजस्व  
नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 53/2021 अनवानी सोहनलाल बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-

1. सोहनलाल महरिया पुत्र मेहरचन्द जाति जाट साकिन रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136  
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा जबरारसर के खाता संख्या 184/342 की कुल 13.9730 हैक्ठु भूमि में प्रार्थी का नाम सुरेन्द्र दर्ज के स्थान पर सोहनलाल उर्फ सुरेन्द्र महरिया संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )  
प्रशासन गांव के संग अभियान-2021  
कैम्प कोर्ट जबरारसर